



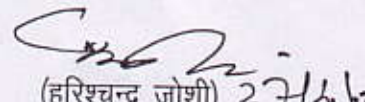
राज्य निर्वाचन आयोग

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-407/रा0नि0आ0-3/1419/2013 दिनांक 23.04.2013 के सन्दर्भ में जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून एवं सचिव, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया था, के अनुपालन में श्री टी0एस0 फर्त्याल, उपायुक्त, खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग ने अपने पत्र संख्या-79/आ0खा0/56/2013-14 दिनांक 25.04.2013 तथा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून ने अपने पत्र संख्या-1501/आ0ले0-2013 दिनांक 25.04.2013 द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित किया है।

खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि शासनादेश संख्या-299/11-XIX-2/02 दिनांक 27 मई, 2011 के अनुसार खाद्य विभाग द्वारा पूर्व से ही जारी शासनादेश के अन्तर्गत ए0पी0एल0 राशन कार्डधारकों को 10 किग्रा0 गेहूँ एवं 10 किग्रा0 चावल प्रतिकार्ड मासिक रूप से वितरण किये जाने की व्यवस्था है, का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित करते हुए प्रेस विज्ञापित जारी की गयी है। अतः उक्त प्रकरण आदर्श आचार संहिता का प्रकरण नहीं है।

उक्त स्पष्टिकरण को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किये गये परीक्षण में सन्तोषजनक पाते हुए प्रकरण को निक्षेपित किया जाता है।


(हरिश्चन्द्र जोशी) 27/4/13
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या- /रा0नि0आ0-3/1419/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), देहरादून।
2. उपायुक्त, खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(एच0बी0थपलियाल)
सचिव।